

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि.अ./एटी/प.41/2019/17

दिनांक : 05/03/2019

—: आदेश —:

राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम-1963 के संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, राजस्थान जयपुर के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान लेवल-14 में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30/10/2017 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 39300/- प्रतिमाह एवं 17400/- चिकित्सा परिचर्या भत्ता (कुल रूपए 56700/-) की दर पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष के प्रोबेशन काल जिसमें एक वर्ष की इन्टरनशिप अवधि सम्मिलित होगी, पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

S. No.	CANDIDATE NAME	GENDER	DATE OF BIRTH	CATE-GORY	SELECTED AGAIST CATEGORY	PLACE OF POSTING
1.	NISHANT GOUR	Male	08-02-91	GEN	UR W	PHC ROOPBAS ALAWR
2.	HANUMAN PRASAD SHARMA	Male	01-06-91	GEN	UR W	CHC TUNGA JAIPUR
3.	HEMENDRA SINGH RAJPOOT	Male	03-07-91	GEN	UR W	PHC KACHRODA KARALI
4.	ASHUTOSH SHARMA	Male	19-12-91	GEN	UR W	PHC BAGDI DOUSA
5.	NITIN GUPTA	Male	27-08-92	GEN	UR W	PHC TALAWADA SAWAI MADHOPUR
6.	JAYA SHEKHAWAT	Female	26-01-93	GEN	UR W	PHC BEDLA UDAIPUR
7.	SANTOSH KANWAR DHANDHU	Female	06-08-93	GEN	UR W	CHC RAMGARH JAISALMER
8.	KAMLESH KUMAR	Male	01-03-94	GEN	UR W	PHC BHEDANA BARMER
9.	NEHA SHARMA	Female	24-08-94	GEN	UR W	PHC RAITHAL JAIPUR
10.	AMANPREET SINGH	Male	28-08-94	GEN	UR W	PHC MOTIPURA BARAN
11.	KAILASH CHANDER KHATRI, SKIN [MD]	Male	02-10-80	GEN	UR W	DH JALORE
12.	SANTOSH KUMAR SINGH	Male	30-12-81	GEN	UR W	PHC SUNTHADI JALORE
13.	KUNAL GUPTA	Male	25-02-83	GEN	UR W	PHC ARNETHA BUNDI
14.	SHIMONA AGARWAL, GYNAE [DGO]	Female	17-07-83	GEN	UR W	CHC DUDU JAIPUR
15.	ANKIT DADHEECH, ORTHO [MS]	Male	30-04-85	GEN	UR W	CHC POKARAN JAISALMER
16.	PRABHA KHATRI, ANAE [MD]	Female	01-08-86	GEN	UR W	CHC UNIARA TONK
17.	GARIMA GOYAL, GYNAE [MS]	Female	12-10-86	GEN	UR W	CHC SHAHJAHANPUR ALWAR
18.	DHARMENDER KUMAR, MED [MD]	Male	01-12-86	GEN	UR W	CHC KALANDRI SIROHI

*(Handwritten signature)*


19.	MANISHA	Female	10-04-87	GEN	UR W	PHC JAKHRANA ALWAR
20.	SUNITA SHARMA, ENT [MS]	Female	22-04-87	GEN	UR W	CHC BAYANA BHARATPUR
21.	NIPUN LAMBA, ANAE [MD]	Male	04-08-88	GEN	UR W	CHC BAYATU BARMER
22.	MANISH KUMAR SHARMA, ENT [MS]	Male	19-01-89	GEN	UR W	G.HOSP BADI DHOLPUR
23.	VINOD KUMAR SHARMA	Male	14-04-89	GEN	UR W	PHC MEHRUKALAN AJMER
24.	SANTOSH SINGH	Male	07-07-89	GEN	UR W	PHC CHURELIA JHALAWAR
25.	MANISHA GODARA	Female	07-10-89	GEN	UR W	PHC BANETHI JAIPUR
26.	SHAKSHI BANSAL	Female	15-10-89	GEN	UR W	PHC ALIPUR BHARATPUR
27.	TRIPENDER SINGH	Male	15-01-90	GEN	UR W	CHC BADANWARA AJMER
28.	ROHIT MODI	Male	18-03-90	GEN	UR W	PHC JOTAYAN AJMER
29.	LALITA KUMARI	Female	05-10-90	GEN	UR W	PHC ISLAMPUR JHUNJHUNU
30.	ARIFA BANO	Female	05-02-91	GEN	UR W	PHC KHIRNI SAWAI MADHOPUR
31.	ANKITA CHOUDHARY	Female	23-01-92	GEN	UR W	PHC NOSAR BARMER
32.	YOGESH KUMAR SHARMA	Male	19-03-92	GEN	UR W	CHC ARAI AJMER
33.	SUKRITI BHARDWAJ	Female	18-05-93	GEN	UR W	PHC GUDASURJAN JAIPUR
34.	KAMALDEEP KHATRI	Male	11-09-93	GEN	UR W	PHC KALVADI ALWAR
35.	SURBHI MATHUR	Female	11-03-94	GEN	UR W	PHC DISNAU SIKAR
36.	ANURAG SHARMA	Male	16-07-94	GEN	UR W	PHC AAKASAR BIKANER
37.	PIYUSH SHUKLA	Male	20-08-94	GEN	UR W	PHC JANUTHAR BHARATPUR
38.	RUPENDRA PAL SINGH RATHORE	Male	03-12-94	GEN	UR W	PHC PANDT DHANI JODHPUR
39.	AJAY GUPTA	Male	02-09-95	GEN	UR W	PHC DADIA AJMER
40.	YUSUF KHAN	Male	11-01-84	GEN	UR W	CHC AAU JODHPUR
41.	SIDDHARTH SHARMA	Male	26-10-86	GEN	UR W	PHC MIRAJWAS SIKAR
42.	HIMANSHU BHARDWAJ	Male	14-07-88	GEN	UR W	CHC SRINAGAR AJMER
43.	CHETAN SUWALKA, ANAE [MD]	Male	19-12-88	GEN	UR W	DH BARAN

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन की जाती है:-


1. चिकित्सक को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित नियंत्रण अधिकारी को देनी होगी, सीधे ही पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करेंगे।
2. प्रविक्षाधीन अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही पद का वेतनमान व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

*(Handwritten signature)*

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.2004 के अनुसार उक्त नवनियुक्त चिकित्सक पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
4. परिवीक्षाधीन अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि नियमानुसार देय होंगे एवं एनपीएस की कटौती नियमानुसार होगी।
5. चिकित्सक की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना है।
6. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने पर चिकित्सक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो) शपथ पत्र चिकित्सक से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जायेगा।
7. चिकित्सक द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाइट <http://www.rajswasthya.nic.in> से डाउनलोड कर अपनी उपस्थिति संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करें।
8. चिकित्सक को कार्यग्रहण कराते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति, विकलांग सर्टिफिकेट, यदि चिकित्सक विवाहित है तो विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन प्रमाण-पत्र जो कार्यग्रहण तिथि को नवीनीकरण हो व अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
9. चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित अथवा कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरुद्ध न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
10. संबंधित नियंत्रण अधिकारी/प्रभारी द्वारा चिकित्सक के समस्त मूल दस्तावेज प्राप्त कर जारी करने वाली संबंधित संस्था से सत्यापन करायेंगे। सत्यापन होने एवं सही पाये जाने पर ही चिकित्सक को उनके मूल दस्तावेज लौटाये जायेंगे। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
11. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2002 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
12. यह नियुक्ति आदेश संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।
13. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम जाति प्रमाण पत्र कार्यग्रहण करने की तिथि से छः माह पूर्व तक की अवधि का राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें कीमीलेयर/नॉन कीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिए। इन वर्गों के कीमीलेयर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।
15. ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष योग्यजन श्रेणी (वन लेग) में चयनित हैं, उन्हें अपनी निःशक्तता के संबंध में चिकित्सा मण्डल (Medical Board) द्वारा जारी मूल निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।



16. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन विधवा अथवा परित्यक्तता श्रेणी में आरक्षित पदों के विरुद्ध किया गया है उन्हें इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि तक पुर्नविवाह नहीं किया है।
17. उक्त आदेश की पालना में कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि 19.03.2019 निर्धारित है। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
18. कार्यग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नहीं है।


  
 निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
 राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि.अ./एटी/प.41/2019/17

दिनांक : 05/03/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
- 2) विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग
- 5) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 6) संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल
- 7) रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 8) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 9) समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
- 10) संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय मूल दस्तावेज की जांच व संतानों/तम्बाकू सेवन नहीं करने के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादी-शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की पुष्टि कर अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख ले तथा आर. एम. सी. के रजिस्ट्रेशन की भी जांच करें तथा रजिस्ट्रेशन एवं इन्टरशिप पूर्ण नहीं होने की स्थिति में भी कार्यग्रहण नहीं करावें।
- 11) संबंधित चिकित्सक को विभाग की वेबसाईट <http://www.rajswasthya.nic.in> के माध्यम से सूचनार्थ।
- 12) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
- 13) प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करने का श्रम करें।
- 14) कम्प्यूटर सैल/आदेश पत्रावली/ निजि पत्रावली।

  
 निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
 राजस्थान, जयपुर।